न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर

[illegible] बनाम [illegible]

किस्म मुकदमा [illegible] मु. नं0 [illegible] वर्ष [illegible]

दिनांक	आज्ञा पत्र	
23-2-24	अपील दर्ज रजिस्टर हो। धारा 5 व धारा 96 पर निर्णय सुरक्षित रखा जाता है। स्थगन प्रार्थना पत्र पर अपीलांट को सुना गया। अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने एकतरफा स्थगन आदेश पारित किया है। अपीलांट के हक में पंजीकृत विक्रय पत्र है। इस स्थगन के कारण अपीलांट के पक्ष में राजस्व रिकार्ड में अमल नहीं हो पा रहा है। अतः इस आदेश की क्रियान्विति स्थगित की जाये। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विचारण न्यायालय की सम्पूर्ण आदेशिका का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय ने एकतरफा स्थगन आदेश पारित किया है। यहां यह भी विचारणीय है कि अपीलांट के हक में पंजीकृत विक्रय पत्र है। इस स्थगन के कारण अपीलांट के पक्ष में राजस्व रिकार्ड में अमल नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 36/2023 उनवान मनफुल कंवर बनाम पप्पु सिंह आदि में पारित अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 01.06.2023 की पालना (क्रियान्विति) स्थगित की जाती है। रेस्पोडेन्ट के रजिस्टर्ड नोटिस जारी हो। तहत का रिकार्ड तलब हो। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 23.03.2024 को पेश हो। [signature] भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	नो. प्रति- 2052-60 / 29.2.24 नि. प्रति- 2061 / 29.2.24
1.4.24	दि. 23.3.24 [illegible] पत्रावली पेश। प्रकरण में रेस्पोडेंट की तामील शेष है। इस हेतु अपीलांट शेष रेस्पोडेंट के रजिस्टर्डड नोटिस खर्चा ही पेश करें। जो पेश होने पर जारी हो। ताकि अपील का शीघ्रातिशीघ्र निस्तारण किया जा सकें। पत्रावली वास्ते तलबी रिकार्ड दिनांक 17.5.24 को पेश हों। [signature]	
17.5.24	पत्रावली पेश। वकील अपीलांट को पूर्व पेशी पर हिदायत दी गई थी कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रेस्पोडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जायेगी। आज दिनांक तक अपीलांट ने रेस्पोडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं किये गये हैं इससे स्पष्ट है कि अपीलांट अपनी अपील के प्रति गम्भीर नहीं है। फलस्वरूप अपील अपीलांट आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज की जाती है। निर्णय खुले इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नक्शा से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। [signature]	

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर